प्रारुप– 5

परियोजना का नाम :– ई०ए०पी० के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे०यो० का नव निर्माण कार्य।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

संलग्न

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न कर दी गयी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त को प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट कर दिया गया है।

ह०/
अधिशासी अभियन्ता

EXECUTIVE ENGINEER
CONSTRUCTION DIVISION
UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM
GHANSALI (DISTT.TEHRI)

मा0मुख्यमंत्री घो
सर्वोच्च प्रायमिकता / सम

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4
(घोषणा अनुभाग)
सं0 63(11)/XXXV-4 घो0 /2018
देहरादून, दिनांक: 14 -2-2018

सचिव (प्रभारी)
पेयजल विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 29-Dec-2017 को जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में निम्न घोषणा की गयी है:-

घोषणा संख्या एवं विभाग	घोषणा का विवरण
173/2018 पेयजल विभाग	घनसाली - चमियाला बाजार हेतु पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण किया जायेगा।

2- यह अनुरोध है कि उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का शासनादेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें,ताकि वस्तुस्थिति से मा० मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके।

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0 — (1)/XXXV-4 घो0/तददिनाँक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2- अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, टिहरी।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–377 /उन्तीस(2)/18–2(19 पे0)/2017

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

2. मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 22 फरवरी, 2018

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं का कियान्वयन/पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4(घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन के निम्नांकित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी निम्नलिखित घोषणा का कियान्वयन/पूर्ति के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

क्र.सं.	पत्र संख्या/दिनांक	घोषणा संख्या/दिनांक	घोषणा का विवरण
1	2	3	4
1	सं0–60(3)XXXV-4 घो0/2018 दिनांक 14–02–2018	98/2018 13–09–2017	ऊखीमठ पेयजल योजना 14 कि0मी0 पाईप का व्यास बढ़ाना एवं अन्य कार्य किया जायेगा।
2	सं0–60(4)XXXV-4 घो0/2018 दिनांक 14–02–2018	99/2018 13–09–2017	गुप्तकाशी पेयजल योजना हेतु नया स्रोत जोड़ना, जलाशय निर्माण एवं 1.5 कि0मी0 नई पाईप लाईन बिछाना एवं अन्य कार्य का निर्माण किया जायेगा।
3	सं0–64(5)XXXV-4 घो0/2018 दिनांक 14–02–2018	114/2018 29–12–2017	काण्डी पम्पिंग योजना का नवनिर्माण किया जायेगा।
4	सं0–63(11)XXXV-4 घो0/2018 दिनांक 14–02–2018	173/2018 29–12–2017	घनसाली–चमियाला बाजार हेतु पेयजल योजना का निर्माण किया जायेगा।
5	सं0–4070XXXV-4 घो0/2017 दिनांक 15–02–2018	601/2017	दुगाड़ी, नकेला, रजना गोठ एवं वनरावत बस्ती में मूलभूत सुविधा प्रदान की जायेगी।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

पृ0 संख्या– (1)/उन्तीस(2)/19–2(19 पे0)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, मा0 मुख्यमंत्री(घोषणा अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन को उनके उपरोक्त वर्णित पत्रों के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।

महाप्रबन्धक......
प्रबन्ध निदेशक

::आदेश::

उत्तराखण्ड शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 246/XXXV–4/2018–2(114पे0)/2018 दिनांक 24 दिसम्बर 2018 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार की घोषणा संख्या 173/2018 "घनसाली–चमियाला बाजार हेतु प्म्पिंग पेयजल योजना का निर्माण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु विभागीय टी0ए0सी0 उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा परीक्षणोपरान्त घनसाली पम्पिंग पेयजल योजना के प्रथम चरण के कार्य हेतु रू0 50.05 लाख एवं चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के प्रथम चरण के कार्य हेतु 48.24 लाख इस प्रकार कुल संस्तुत धनराशि रू0 98.29 लाख (रू0 अठ्ठानवे लाख उनतीस हजार मात्र,) र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त धनराशि अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन पर रखी गई है।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उपर्युक्त वर्णित शासनादेश द्वारा स्वीकृत एवं अधोहस्ताक्षरी निवर्तन में रखी गई धनराशि निर्माण कार्य हेतु रू0 98.29 लाख निम्न विवरणानुसार अधिशासी अभियन्ता पेयजल विभाग घनसाली को आहरित कर भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति अधोलिखित नियमों/शर्तों एंव उपबन्धों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	योजना का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में जारी की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	घनसाली पम्पिंग पेयजल योजना के प्रथम चरण के कार्य किया जायेगा।	50.05 लाख	रू0 50.05 लाख	अधिशासी अभि0 पेयजल निगम घनसाली

क्र0सं0	योजना का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में जारी की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
2	चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के प्रथम चरण के कार्य हेतु	48.24 लाख	रू0 48.24 लाख	अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम घनसाली

उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी कार्यालय टिहरी के आहरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो उक्त धनराशि को आहरित कर ई–पेमेंट के माध्यम से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। ई–पेमेंट हेतु निर्माण शाखा का पूर्ण विवरण निम्नवत् है:–

TIN NO.	MRTU00375E
PAN NO.	N/A
ADDRESS	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTUON DIVISION UTTRAKHAND PEYJAL NIGAM GHANSALI
MOVILE NO.	7579116777(EE)
E MAIL ID	eepyjalghansali1@gmail.com
BANK NAME	PUNJAB NATIONAL BANK GHANSALI
ACCOUNT NO.	2265002100000260
BANK ADDRESS	PUNJAB NATIONL BANK GHANSALI
IFSC CODE	PUNB 0226500
GST NO.	GSTIN- 05AAALU0118MHZL

1– सर्वप्रथम सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXXVII (7)/2008 दिनांक 15.12.2018 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा, तथा अपने स्तर पर कार्यों का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

2– निर्माण शाखा द्वारा कार्य की प्रगति निरन्तर एवं ग्रहन समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध रूप में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा विलम्ब के दृष्टिगत लागत वृद्धि होने पर पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायी संस्था एवं सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों का होगा।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/. 5 दिनांक 01.04.2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5– स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में (अपरिहार्य स्थिति की दशा में) करने पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से ली जाय।

6– विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

7– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। उस से अधिक कदापि न किया जाए।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभागीय दरों/विशिष्ठियों को ध्यान में रखते हुऐ निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य भलिभांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा कार्य निरीक्षण के पश्चात दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत किये जाय।

10– मुख्य सचिव, माहदय उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2047/XIV–2019 /2006 दिनांक 30.05.2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

11– आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के अनुरुप किया जायेगा।

13– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित तकनीकी अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14– निर्माण समाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय, तथा विशिष्टियों के अनुरुप ही प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा उपयु क्त सामग्री उपयोग में लायी जाय।

15– उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाय।

16– योजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा तीन वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त रखी जायेगी।

17– उक्त कार्य के आंगणन पर कार्यवाही करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित कर लें, कि यदि शासनादेश संख्या 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 के दिशा–निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण में कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा कार्य पूर्ण होने

के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है, तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित किया जाय।

18— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यभार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि के स्वीकृत की जा रही धनराशि से कम होने की दशा में अवशेष धनराशि को तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा।

19— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में अनुदान संख्या 03 के अन्तर्गत लेखा—शीर्षक 4059— लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60—अन्य भवन, 800—अन्य व्यय, 2—मा0मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एक मुश्त अनुदान, 24—वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

20— यह आदेश वित्तीय विभाग उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0—231 मतदेय/XXVII (5)/2018 दिनांक 18.02.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक— 337 /IX —48 (2018—19) दिनांक नई टिहरी मार्च 13 2019

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3— सचिव पेयजल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4— आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5— सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6— मुख्य अभियन्ता (मु0) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7— निजि सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
8— वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
9— आहरण वितरण अधिकारी, जिलाकार्यालय टिहरी गढ़वाल।
10— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को इस निर्देश के साथ कि उक्त धनराशि को अपने विभागीय खाते में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त/हस्तगत करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
11— गार्ड फाईल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।